


कार्यालय, श्रम आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
आवक 13683
दिनांक 12 DEC 2012



कार्यालय कलेक्टर (श्रम), जिला- मुंगेली (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

क्रमांक 62 /श्रम/बं0श्र0स0स0/सीएसटी/2012 मुंगेली दिनांक 6-11-12

छ0ग0शासन, पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग, रायपुर के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक- 4561/2012 दिनांक 27.03.2012 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में अनुविभाग लोरमी में बंधक श्रम विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु अधिनियम 1976 की धारा- 13 के अंतर्गत अनुविभाग स्तर पर बंधक श्रम सतर्कता समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0), लोरमी - अध्यक्ष
2. अनुसूचित जाति जनजाति के 03 नामांकित सदस्य - 1. श्री रामेश्वर बंजारे, पथरी, लोरमी 2. श्री ननकू भिखारी, नवागांव (ठे) लोरमी, 3. श्री सुखनंदन धुमसरे, लोरमी
3. दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य - 1. श्री गुरमीत सलूजा, लोरमी 2. श्री नंदकिशोर त्रिपाठी, लोरमी
4. ग्रामीण विकास से जुड़े तीन नामांकित सदस्य - 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लोरमी 2. श्री. रामकुमार पात्रे, लोरमी 3. श्री पीतर सिंह राजपूत, लोरमी
5. वित्तीय संस्थान के सदस्य - 1. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, लोरमी

यह समिति अधिनियम की धारा-14 के तहत बंधक श्रमिकों की मुक्ति एवं पुनर्वास के संबंध में समीक्षा करेगी तथा नियमतः बैठकें भी आयोजित करेगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

कलेक्टर

जिला- मुंगेली (छ0ग0)

पृष्ठांकन क्रमांक 63 /श्रम/बं0श्र0स0स0/सीएसटी/2012 मुंगेली दिनांक 6-11-12
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, छ0ग0शासन की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. श्रम पदाधिकारी, श्रमायुक्त कार्यालय, छ0ग0रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. अनुविभाग, विकासपुर संतान, विकासपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. सर्वसंबंधित.....

.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कलेक्टर

जिला- मुंगेली (छ0ग0)